अलर्ट कंस्यूमर

प्रेमलता

कार का वादा न हो जाए बेकार

एक भुक्तभोगी ने फ्री की कार के चक्कर में किस तरह से धोखा खाया, यह उसने आपबीती में बताया:

मुझे एक ट्रैवल एजेंसी ने कार खरीदने की सलाह इस वादे के साथ दी कि मेरी बैंक की किश्तें वह चुकाते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस की शर्तें कुछ ऐसी थीं कि 5 साल में कार लोन फ्री हो जाएगी और उसके बाद की कमाई मेरी अपनी होगी। इसके लिए बैंक, ट्रैवल एजेंसी और मेरे बीच में करार होग। एजेंसी ने वादा किया कि 15 हजार रुपये हर महीना मेरे बैंक अकाउंट में जमा होता रहेगा जिससे मैं बैंक की किश्तें भरती रहूंगी। 3 साल तक तो ठीक चला, पर चौथे साल में एजेंसी ने मेरी गाड़ी किराए पर लेने से इंकार कर दिया। एजेंसी ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया और बैंक ने मेरी कार सीज कर दी। बैंक ने लोन के पैसे न चुकाने के लिए मुझ पर केस कर दिया। जब कोर्ट में मैंने एजेंसी के वादे की बात कही तो पता चला कि किश्त भरने की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि कार मेरे नाम पर है। ऐसे में एजेंसी की जिम्मेदारी सिर्फ कार को किराए पर लेने भर की ही थी।

इस तरह से तीन पार्टियों का करार सिर्फ आंख में धूल झोंकने जैसा था। मुझे यह नहीं पता था कि एजेंसी कभी भी कार किराए पर लेने से मना कर देगी क्योकि इस बात का शर्तों मे कोई जिक्र नहीं था। मैंने असल में कार नहीं बल्कि कर्ज़ खरीद लिया था।

क्या कर सकते हैं:

न सिर्फ किराए पर कार लेने बल्कि कार पर विज्ञापन लगाने के नाम पर भी कुछ एजेंसियां कार की किश्तें भरने का वादा करती हैं। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

1. सबसे पहला सच यह है कि आप विवाद होने पर कंस्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, न कि किसी की सर्विस ले रहे हैं। यदि विज्ञापन देने वाली एजेंसी या ट्रैवल एजेंसी कार विज्ञापन देने या किराए पर लेने से इंकार करती है तो आप इसकी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञापन सिर्फ एक प्रपोजल होता है।

2. यदि कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो बैंक उसी से पैसे वसूल करेगा जिसके नाम पर वाहन होगा। तीन पार्टियों के बीच करार में भी लोन के लिए ऐप्लिकेशन तो आप ही देते हैं। लोन की रकम भी ऐप्लिकेंट के नाम पर ही दी जाती है। एजेंसी का वादा सिर्फ तय किश्त के बराबर की रकम पर कार किराए पर लेने का होता है। यह शर्त तो मान ली जाती है कि रकम आपके बैंक अकाउंट में हर महीने डाली जाएगी, लेकिन यह इस शर्त के साथ होता है कि कार किराए पर ली जाएगी। हकीकत यह है कि कुछ शर्तों के साथ भविष्य के लिए वादा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता।

3. ऐसी स्थिति मे यदि किश्तें नहीं चुकाई जातीं तो बैंक सारी रकम एक साथ देने के लिए कह सकता है। वसूली न होने पर बैंक न सिर्फ कार सीज कर लेते हैं बल्कि इसे नीलाम करने के साथ ही केस भी दर्ज कर सकते हैं।

जाहिर है, पूरे माजरे को समझते हुए बेहतर होगा कि एजेंसियों के लुभावने वादों में फंसकर अपनी कार होने का सपना न देखें। कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री की नहीं मिलती।